न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,पीपाड़ शहर (जोधपुर) राज०

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कंचन राठौड़, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 263 / 2022
जीसीएमएस नं. :– 2022 / 356

–: प्रार्थी :–
गलकुदेवी पत्नि गंगाविशन जाति विश्नोई निवासी ग्राम तिलवासनी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

–: अप्रार्थीगण :–
भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर ।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :
श्री पृथ्वीराज चौहान अधिवक्ता प्रार्थी।

दर्ज तारीख :– 07.09.2022

निर्णय

दिनांक : 24.11.2022

वकील मय प्रार्थीया ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है कि ग्राम तिलवासनी पटवार क्षेत्र तिलवासनी तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थीया की खातेदारी, कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 222 / 1 क्षेत्रफल 2.1115 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कृषि भूमि स्थित है जिसको आगे प्रार्थनापत्र मे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। सबूत मे नकल जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 मय नक्शा की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है । वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीया का अभिलिखित खातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग बिना किसी रोक टोक के निर्बाध रूप से चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीया सावणु फसल की बुवाई करती आई है। प्रार्थीया वादग्रस्त आराजी की सुरक्षा हेतु वादग्रस्त आराजी के चारों तरफ मुटाम कायम करवाकर दिवार / तारबंदी करवानी चाहती है। वादग्रस्त आराजी का नाप चौप किया जाकर सीमा कायम की जाकर पत्थरगढ़ी / मुण्डागढ़ी करवाई जानी अतिआवश्यक व लाजमी है जिससे भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नही हो । प्रार्थीया नियमानुसार पत्थरगढ़ी हेतु मुण्डे उपलब्ध करवा देगी एंव मोमीट्रेस नक्शा उपलब्ध करवा देगी एंव नियमानुसार कमीश्नर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

को फीस अदा कर देगी। अप्रार्थी को भूमिधारी होने से तरदीदी पक्षकार संयोजित किया गया है। वादग्रस्त आराजी ग्राम तिलवासनी की राजस्व सीमा में स्थित होने से उक्त प्रार्थनापत्र श्रीमान न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है एंव प्रार्थनापत्र अदंरमियाद पेश है। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विन्रम निवेदन है कि ग्राम तिलवासनी पटवार क्षेत्र तिलवासनी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 222/1 क्षेत्रफल 2.1115 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कृषि भूमि का नाप चौप किया जाकर सीमाकंन किया जाकर पत्थरगढ़ी / मुण्डागढ़ी करवाने का तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित फरमायें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया । तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रस्तुत किया है कि जो इस प्रकार से है कि ग्राम तिलवासनी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 222/1 रकबा 2.1115 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम प्रार्थीया की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी के सम्बन्ध बिन्दुवार जवाब इस प्रकार है :– ग्राम तिलवासनी की जमाबन्दी चौसाला सम्वत् 2075 से 2078 में खाता सं. 83 में दर्ज भूमि खसरानम्बर 222/1 रकबा 2.1115 हैक्टयर प्रार्थीया के स्वयं के नाम दर्ज हैं। वादग्रस्त आराजी पर खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज है एवं सावणु फसल की बुवाई की जाती है। उक्त वादग्रस्त आराजी की सीमा तय करने हेतु पत्थरगढ़ी प्रार्थनापत्र उचित हैं। वादग्रस्त भूमि ग्राम तिलवासनी में स्थित होने से श्रीमान न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का है। अतः खसरानम्बर 222/1 रकबा 2.1115 हैक्टयर की पत्थरगढ़ी के आदेश न्यायालय हाजा से पारित होते है तो कोई आपति नही हैं।

हमने बहस पक्षकारान सुनी, वकील प्रार्थीया ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम तिलवासनी के खसरा नम्बर 222/1 रकबा 2.1115 हैक्टयर भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रार्थी के पक्ष में किया जाना न्यायसंगत है, एवं प्रार्थीया के

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

वकील ने यह भी बताया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीया की खातेदारी, कब्जासुदा भूमि हैं। जिस पर प्रार्थीया पीढ़ियो से काबिज होकर काश्त करती आ रही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर यह प्रतीत होता हे कि प्रार्थीया वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है इसलिए वादग्रस्त आरजी का नापचौप करवाकर पत्थरगढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम तिलवासनी के खसरा नम्बर 2221/ रकबा 2.1115 हैक्टयर भूमि का टीम गठित कर नापचौप एवं सीमांकन कर रूबरू पक्षकारान के सीमा कायम करते हुए पैमाईश करवाकर पत्थरगढ़ी करावें। इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थीगण राजकीय कोष में जमा करवायेगें। तहरीर जारी हो, बाद पैमाईश पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें।

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 24.11.2022 को सर-ए-इजलास में सुनाया गया ।

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर